

प्रेस नोट थाना खोराबार दिनांक 04-07-2021

02 गोतस्कर पुलिस पर अवैध तमंचा से फायर करने के आरोप में 07 राशी गोवंशीय पशु के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में घटित लूट, चोरी व इनामियाँ अपराधी की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्ग दर्शन में व सहायक पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में खोराबार पुलिस टीम को लगाया गया था। आज दि० 04.07.2021 को मैं उ०नि० अश्वनी कुमार तिवारी मय हमराहियान के बगरज देखभाल क्षेत्र व रात्रि गस्त करता हुआ कुसुम्ही बाजार में मौजूद था जसिये मुखबीरी सूचना पर कुसुम्ही बाजार में स्थित पेट्रोल पम्प के पास छिपकर आने वाले गोवंश से लदा हुआ पिकप का इंतजार करने लगे कि एक पिकप सफेद रंग की तेजी से आते हुये दिखाई दी हम पुलिस वाले टार्च की रोशनी देकर रोकने का इशारा किये तो गाड़ी उक्त पिकप सोनबरसा की तरफ भागने लगी कि दूरभाष के सूचना पर उ०नि० श्री रवि कुमार राय व उ०नि० श्री रणजीत कुमार व उ०नि० आशुतोष राय मय हमराहियान के आ गये और पिकप को दोनो तरफ से पीछा करके घेर लिया गया इतने में चालक गोवंशीय पशु से लदी पिकप को डिवाइडर पर चढ़ा दिया पिकप पलट गयी उसमें बैठे चार बादमाश अन्धेरे का फायदा उठाकर भाग गये। चालक के बगल में बैठा व्यक्ति पुलिस पार्टि पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया हिकमत अमली का प्रयोग करके पिकप में सवार दोनो व्यक्ति को पकड़ लिया गया। चालक सीट पर बैठा व्यक्ति अपना नाम रोजाद्दीन पुत्र जलील मिया R/O लतबाचट्टी माधोपुर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर चालक के बगल में बैठा व्यक्ति अपना नाम सर्वजीत नट पुत्र बल्ले नट R/O विक्रमपुर बासपार थाना कोतवाली देवरिया। सर्वजीत नट के तलाशी से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 335/21 धारा 3/5ए/8 गोबध व 11 पशु क्रुरता अधि०, मु०अ०सं० 336/21 धारा 307 भादवि, मु०अ०सं० 337/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार गोरखपुर किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता-

- 1 रोजाद्दीन पुत्र जलील मिया R/O लतबाचट्टी माधोपुर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।
- 2 सर्वजीत नट पुत्र बल्ले नट R/O विक्रमपुर बासपार थाना कोतवाली देवरिया।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

04/07/2021 समय 04.30स्थान एचडी०एफ०सी बैंक .जगदीशपुर वफासला 12कि०मी० पूर्वोतर थाना क्षेत्र खोराबार।

बरामदगी

1. 07 राशी गोवंशीय पशु (02 गाय ,05 बछड़ा)
- 2 एक अदद मपेन्द्रा पिकप बिना नम्बर की।
- 3 एक अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज मय एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

अपराधिक इतिहास:-

- 1 रोजाद्दीन पुत्र जलील मिया R/O लतबाचट्टी माधोपुर थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।
मु०अ०सं० 335/21 धारा 3/5ए/8 गोबध 11 पशु क्रुरता अधि०
- 2 सर्वजीत नट पुत्र बल्ले नट R/O विक्रमपुर बासपार थाना कोतवाली देवरिया।
 - I. मु०अ०सं० 335/21 धारा 3/5ए/8 गोबध 11 पशु क्रुरता अधि० थाना खोराबार गोरखपुर
 - II. मु०अ०सं० 336/21 धारा 307 भादवि थाना खोराबार गो०
 - III. मु०अ०सं० 337/21 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार गो०

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी / कर्म० का नाम व नियुक्ती स्थान

1	श्री राहुल कुमार सिंह	प्रभारी निरीक्षक थाना खोराबार गोरखपुर
2	उ०नि० श्री अश्वनी कुमार तिवारी	चौकी प्रभारी जगदीशपुर खोराबार गोरखपुर ।
3	उ०नि० श्री उ०नि० श्री रवि कुमार राय	थाना खोराबार गोरखपुर ।
4	उ०नि० श्री रणजीत कुमार	थाना खोराबार गोरखपुर।
5	उ०नि० आशुतोष राय	थाना खोराबार गोरखपुर ।
6	हे०का० संजय कुमार सिंह	थाना खोराबार गोरखपुर
7	हे०का० हरेन्द्र	चौकी जगदीशपुर
8	हे०का० अशोक सरोज	चौकी जगदीशपुर
9	का० सतेन्द्र यादव	चौकी जगदीशपुर